अनुदान संख्या 39 - पेंशन
GRANT No. 39 – PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	***Revenue:***			
प्रभारित–	*Charged–*	*90,00,00*	*77,18,21*	*-12,81,79*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–	19710,00,00	19519,56,41	-190,43,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			236,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के संराशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए था।

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme and Defined Contribution Pension Scheme.

2. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

2. In the *charged* portion of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits	*8990.00*	*7708.12*	*-1281.88*

(I) *₹3.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया प्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - साधारण पेंशन" - *₹511.51 लाख* की बचत *(₹1320.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(खा) "उपदान - साधारण पेंशन" - *₹429.62 लाख* की बचत *(₹1650.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(गा) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" - *₹149.26 लाख* की बचत (*₹880.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(घा) "छुट्टी नकदीकरण- साधारण पेंशन - *₹111.18 लाख* की बचत (*₹900.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम स्क्राल/दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹57.69 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 29 प्रतिशत थी।

3. अनुदान के स्वीकृत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹23600.00 लाख) ₹19043.59 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(II) Under "Civil" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" – saving of *₹511.51 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1320.00 lakhs*);

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of *₹429.62 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1650.00 lakhs*);

(C) "Family Pensions – Family Pensions" – saving of *₹149.26 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹880.00 lakhs*); and

(D) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - saving of *₹111.18 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹900.00 lakhs*).

Savings under the above four heads were due to receipt of less scrolls/claims.

(III) Under one head saving of *₹57.69 lakhs* occurred constituting 29 percent of the sanctioned *appropriation*.

3. In the voted portion of the grant, the amount surrendered (₹23600.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹19043.59 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	1965751.00	1942151.00	1947737.74	+5586.74
पु.	R.	-23600.00			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare		5249.00	4218.67	-1030.33

(I) ₹649.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹500.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - अन्य पेंशन - एसपीएमसीआईएल पेंशन निधि को देय सरकारी अंशदान" के अंतर्गत स्क्राल प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹649.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these ₹500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2071" - "Civil - Other Pensions - Government Contribution payable to SPMCIL Pension Fund" - due to non-receipt of scrolls.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2071" – "Civil" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन" - ₹34834.42 लाख की बचत (₹1022101.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" – saving of ₹34834.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1022101.00 lakhs);

(खा) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - साधारण पेंशन" - ₹52811.53 लाख की बचत (₹207000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" - saving of ₹52811.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹207000.00 lakhs);

(गा) "उपदान" -

(C) "Gratuities" –

(क) "साधारण पेंशन" - ₹12763.64 लाख की बचत (₹247685.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Ordinary Pensions" - saving of ₹12763.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹247685.00 lakhs);

(ख) "नई निश्चित अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/निशक्तता पर अतिरिक्त राहत - साधारण पेंशन" - ₹159.15 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "परिवार पेंशन - नई निश्चित अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/निशक्तता पर अतिरिक्त राहत - असाधारण परिवार पेंशन - ₹129.85 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "भविष्य निधियों को अंशदान - साधारण पेंशन" - ₹1259.95 लाख की बचत (₹2195.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) "छुट्टी नकदीकरण - साधारण पेंशन" - ₹15635.16 लाख की बचत (₹144000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(छा) "अधिशेष घोषित किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम संबंधी अनुग्रही अदायगियां - साधारण पेंशन" - ₹459.41 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधियां - सामान्य भविष्य निधियों की निक्षेप सहबद्ध बीमा संशोधित स्कीम" के अंतर्गत ₹855.83 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम स्क्राल/दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(b) "Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) - Ordinary Pensions" - saving of ₹159.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs);

(D) "Family Pensions - Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) – Extra Ordinary Family Pensions" - saving of ₹129.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(E) "Contributions to Provident Funds - Ordinary Pensions" - saving of ₹1259.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2195.00 lakhs);

(F) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - saving of ₹15635.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹144000.00 lakhs);

(G) "Ex-gratia Payments arising out of Special VRS to Central Government Employees declared as Surplus - Ordinary Pensions" - saving of ₹459.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds - Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds" - saving of ₹855.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

Savings under the above nine heads were due to receipt of less scrolls/claims.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹76.50 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2071” - “सिविल” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) “अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन (एआईएस)” - ₹38700.00 लाख का अधिक व्यय (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) “पेंशनों का संराशीकृत मूल्य - साधारण पेंशन (एआईएस)” - ₹2557.14 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(III) “उपदान - साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹2797.20 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(IV) “परिवार पेंशन” -

(क) “परिवार पेंशन” - ₹33307.93 लाख का अधिक व्यय (₹220300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “साधारण पेंशन (एआईएस)” - ₹1900.00 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(V) “विधायकों को पेंशन - संसद सदस्य” - ₹525.97 लाख का अधिक व्यय (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(VI) “छुट्टी नकदीकरण - साधारण पेंशन (एआईएस) - ₹1202.90 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(IV) Under one head saving of ₹76.50 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2071”- “Civil”- under the following heads:-

(I) “Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions (AIS)” – excess of ₹38700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs);

(II) “Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions (AIS)” – excess of ₹2557.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs);

(III) “Gratuities – Ordinary Pensions (AIS)” - excess of ₹2797.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(IV) “Family Pensions” -

(a) “Family Pensions” - excess of ₹33307.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220300.00 lakhs);

(b) “Ordinary Pensions (AIS)” - excess of ₹1900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(V) “Pensions to Legislators – Members of Parliament” – excess of ₹525.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(VI) “Leave Encashment - Ordinary Pensions (AIS)” - excess of ₹1202.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक स्क्राल/दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(VII) "निश्चित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान - सरकारी अंशदान" - ₹19735.89 लाख का अधिक व्यय (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों में नई भर्ती होने के कारण हुआ।

Excess under the above seven heads was due to receipt of more scrolls/claims.

(VII) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme – Government Contribution" - excess of ₹19735.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to new recruitments in the Ministries/ Departments.